रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233274
SG-DL-E-09022022-233274

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 430
No. 78]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943	[N. C. T. D. No. 430

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

सं. फां. 6/15/2021–न्याय/अधिविधी/358–362.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या फां0 01(2)/70–डीएच(एस) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या फां. 01(2)/70–डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस संबंध में उन्हें सशक्त बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 का पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .– (1) इन नियमों को दिल्ली न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जायेगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में आ जायेंगे ।

नियम	वर्तमान नियम	अनुशंसित संशोधन
7	सेवा में भर्ती के प्रयोजन हेतु एक चयन समिति होगी जिसमें निम्न शामिल होंगे:– 1. मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश जो उनके द्वारा मनोनीत किए जाएँ।	सेवा में भर्ती के प्रयोजन हेतु एक चयन समिति होगी जिसमें निम्न शामिल होंगे:– 1. मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश जो उनके द्वारा मनोनीत किए जाएँ।

	2. मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशगण । 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। 4. प्रशासक द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कोई सचिव। उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सचिव होंगे ।	2. मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशगण। 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। 4. प्रशासक द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कोई सचिव। बशर्तें कि चयन समिति की किसी भी बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा। उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सचिव होंगे ।
13	प्रारंभिक भर्ती के बाद भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी । जो पद रिक्ति के अध्यधीन वर्ष में दो बार वरीयता स्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में परीक्षा ली जाएँगी। प्रशासक को ऐसी परीक्षा की तिथियों एवं स्थान के बारे में अवगत कराया जाएगा ।	प्रारंभिक भर्ती के बाद भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी जिसमें मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु चयन के लिए आरंभिक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित) एवं साक्षात्कार /मौखिक साक्षात्कार शामिल होंगे। पद रिक्ति के अध्यधीन, वर्ष में एक बार वरीयता स्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में परीक्षा ली जाएँगी। प्रशासक को ऐसी परीक्षा की तिथियों एवं स्थान के बारे में अवगत कराया जाएगा ।
14	14.कोई अभ्यर्थी परीक्षा देने योग्य होगा, यदि वह (क) भारत का नागरिक हो; (ख) व्यक्ति भारत में अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा हो अथवा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में लिए जाने की अर्हता रखता हो; एवं (ग) परीक्षा के आरम्भ होने की तिथि से 1 जनवरी को उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक न हो।	14.कोई अभ्यर्थी परीक्षा देने योग्य होगा, यदि वह (क) भारत का नागरिक हो; (ख) व्यक्ति भारत में अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा हो अथवा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में लिए जाने की अर्हता रखता हो; एवं (ग) जिस वर्ष में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएँ उस वर्ष की 1 जनवरी को उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक न हो।
15	परीक्षा का पाठ्य और देय शुल्क का विवरण इन नियमों के अनुलग्नक के रूप में विस्तृत रूप से बताया गया है ।	परीक्षा का पाठ्य–विवरण एवं परीक्षा निर्वहन को नियंत्रित करने वाली योजना वैसी ही होगी जो इन नियमों के अनुलग्नक के रूप में विस्तृत रूप से बताई गई है।
18	(i) इन नियमों के अनुसार ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन समिति योग्यता के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। ऐसी सूची प्रशासक को प्रेषित की जाएगी। (ii) उच्च न्यायालय से विमर्श कर प्रशासक योग्यता के अनुक्रम में ऊपर आने वालों में से मूल, पदीय अथवा अस्थाई रिक्तियों के प्रति नियुक्ति करेंगे।	(i) इन नियमों के अनुसार ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन समिति योग्यता के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। ऐसी सूची प्रशासक को प्रेषित की जाएगी। (ii) उच्च न्यायालय से विमर्श कर प्रशासक योग्यता के अनुक्रम में ऊपर आने वालों में से मूल, पदीय अथवा अस्थाई रिक्तियों के प्रति नियुक्ति करेंगे। (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति विज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समस्त चयनित अभ्यर्थीगण सेवा में शामिल होंगे। (iv) पर्याप्त कारणवश सक्षम प्राधिकारी अर्थात उच्च न्यायालय सम्बंधित अभ्यर्थी के लिखित आवेदन पर सेवा में शामिल होने हेतु उपरोक्त एक माह की अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसा विस्तारण, यदि प्रदानित हो, केवल दो महीनों की अवधि के लिए होगा। उच्च न्यायालय द्वारा इस अवधि से अधिक शामिल होने की अवधि का विस्तारण केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में ऐसा विस्तारण नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से छह महीनों से ज्यादा अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जायेगा।

		(v) चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति के विज्ञप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर अथवा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदानित किसी विस्तृत अवधि के समापन पश्चात सेवा में शामिल होने में विफलता की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। (vi) उपरोक्त खंड (v) द्वारा सृजित रिक्ति चयनित सूची में योग्यता के आधार पर अगले अभ्यर्थी को दे दी जाएगी जब तक कि लिखित कारणवश इसे युक्तियुक्त न माना जाए। (vii) अधिकारियों की समस्त श्रेणियों के लिए तैयार चयनित सूची अगली चयनित सूची के प्रकाशन तक वैध रहेगी। (viii) इस नियम के खंड (iii) से (v) चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति की विज्ञप्ति का भाग होंगे।
परिशिष्ट (नियम 15 देखें)	पाठ्यक्रम दिल्ली न्यायिक सेवा की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम । दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा दो अनुक्रमिक चरणों में ली जाएगीः– (i) मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन सहित वस्तुनिष्ठ) (ii) मौखिक साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित) प्रारंभिक परीक्षा की एक अनुवीक्षण जाँच होगी जिसमें एक बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्र होगा जिसके अधिकतम अंक 200 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विधिक ज्ञान, अभ्यर्थी की अभिक्षमता, अभ्यर्थी की अभिव्यक्ति की क्षमता, अंग्रेजी भाषा में दक्षता, वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधिक समस्याओं का ज्ञान एवं उनके समाधान से सम्बंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय संविधान, दीवानी प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, माध्यस्थम कानून को शासित करने वाले सिद्धान्त, साक्ष्य अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम तथा परिसीमा अधिनियम शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं इस सेवा हेतु जैसा कि विनिर्दिष्ट हो (दिव्यांग व्यक्तियों) के लिए 55 प्रतिशत होगा । तथापि प्रत्येक श्रेणी के रिक्त पदों की विज्ञापन में दी गई कुल संख्या के दस गुणा से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए नहीं रखी जाएगी।	परीक्षा निर्वहन की योजना एवं पाठ्य–विवरण दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा दो अनुक्रमिक चरणों में ली जाएगीः– (i) मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन सहित वस्तुनिष्ठ) (ii) मौखिक साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित) **क. प्रारंभिक परीक्षा** 1. प्रारंभिक परीक्षा अर्हता प्रवृत्ति की अनुवीक्षण जाँच होगी जिसमें एक बहु विकल्पीय प्रश्न–पत्र होगा जिसके अधिकतम अंक 200 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विधिक ज्ञान, अभ्यर्थी की अभिक्षमता, अभ्यर्थी की अभिव्यक्ति की क्षमता, अंग्रेजी भाषा में दक्षता, वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधिक समस्याओं का ज्ञान एवं उनके समाधान से सम्बंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय संविधान, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, परिसीमा अधिनियम, 1963, लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 शामिल होंगे। 2. प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं इस सेवा हेतु जैसा कि विनिर्दिष्ट हो दिव्यांग व्यक्तियों में से योग्य श्रेणियों के लिए 55 प्रतिशत होगा । तथापि प्रत्येक श्रेणी के रिक्त पदों की विज्ञापन में दी गई कुल संख्या के दस गुणा से अधिक अभ्यर्थियों की संख्या मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए नहीं रखी जाएगी। बशर्ते कि, ऐसी स्थिति में जब कोई अभ्यर्थी(गण) मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे गए अंतिम अभ्यर्थी द्वारा

प्रारंभिक परीक्षा में उन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए चयनित हुए हों उनकी योग्यता के अंतिम अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिने जाएँगे।

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्न विषय शामिल होंगे (प्रत्येक विषय अपने सम्मुख दिए गए अंक का होगा):–

विषय

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य ज्ञान एवं भाषा	250
2.	सिविल लॉ I	200
3.	सिविल लॉ II	200
4	क्रिमिनल लॉ	200
5	साक्षात्कार	150

1. सामान्य ज्ञान एवं भाषा

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे:–

भाग I : सामान्य ज्ञान : यह अभ्यर्थी के वर्तमान या तत्काल मामलों, आदि के ज्ञान की जांच के लिए है (100 अंक)।

भाग II : भाषा (अनुबंध, अनुवाद एवं सार लेख): यह अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता एवं ज्ञान की जाँच के लिए है । मूल एवं अभिव्यक्ति दोनों के लिए श्रेय दिया जाएगा । इसके विपरीततः खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण दोष और शब्दों के दुरुपयोग आदि के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। अनुवाद के लिए दो अंश होंगे, एक अंग्रेजी भाषा में जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा (देवनागरी लिपि में) और दूसरा अंश हिंदी भाषा में (देवनागरी लिपि में) जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा।

(150 अंक)

2) सिविल लॉ – I

भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय माल विक्रय अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम, हिंदू कानून, मोहम्मडन लॉ, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, अपकृत्य विधि, (200 अंक)

प्राप्त अंक के समान अंक प्राप्त करें तो मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे गए अंतिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी(गण) मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे जाएँगे इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि ऐसे अभ्यर्थी(गण) को शामिल करने पर मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों की विज्ञापन में दी गई संख्या के विनिर्दिष्ट दस गुणा की सीमा से अधिक ही क्यों न हो जाए।

3. प्रारंभिक परीक्षा में उन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए चयनित हुए हों उनकी योग्यता के अंतिम अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिने जाएँगे।

ख. मुख्य परीक्षा (लिखित)

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्न विषय शामिल होंगे (प्रत्येक विषय अपने सम्मुख दिए गए अंक का होगा):–

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य विधिक ज्ञान एवं भाषा	250
2.	सिविल लॉ I	200
3.	सिविल लॉ II	200
4	क्रिमिनल लॉ	200

1. सामान्य विधिक ज्ञान एवं भाषा

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे:–

भाग I : सामान्य विधिक ज्ञान : यह अभ्यर्थी के वर्तमान या तत्काल विधिक मामलों, आदि के ज्ञान की जांच के लिए है (100 अंक)।

भाग II : भाषा (अनुबंध, अनुवाद एवं सारलेख): यह अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता एवं ज्ञान की जाँच के लिए है । मूल एवं अभिव्यक्ति दोनों के लिए श्रेय दिया जाएगा । इसके विपरीततः खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण दोष और शब्दों के दुरुपयोग आदि के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। अनुवाद के लिए दो अंश होंगे, एक अंग्रेजी भाषा में जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा (देवनागरी लिपि में) और दूसरा अंश हिंदी भाषा में (देवनागरी लिपि में) जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा।

(150 अंक)

2) सिविल लॉ – I

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, हिंदू कानून, मोहम्मडन लॉ, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958, अपकृत्य विधि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994, नई दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

(200 अंक)

	3) सिविल लॉ – II सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, परिसीमा एवं रजिस्ट्रीकरण कानून (200 अंक)	3) सिविल लॉ – II सिविल प्रक्रिया संहिता,1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, परिसीमा अधिनयम, 1963, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 एवं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (200 अंक)
	4) क्रिमिनल लॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, (200 अंक)	4) क्रिमिनल लॉ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, महिलाओं का कार्यस्थ्ल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) – अधिनियम, 2015 (200 अंक)
	5) मौखिक साक्षात्कार मौखिक साक्षात्कार 150 अंकों का होगा। मौखिक साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणियाँ यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इस नौकरी के लिए निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक एवं मुख्य परीक्षा (लिखित) में 45 प्रतिशत अंक लाने होंगे ।	ग . मौखिक साक्षात्कार मौखिक साक्षात्कार 150 अंकों का होगा। मौखिक साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणियाँ यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इस नौकरी के लिए निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों की पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक एवं मुख्य परीक्षा (लिखित) में 45 प्रतिशत अंक लाने होंगे । बशर्ते मौखिक साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित रिक्त पदों की तिगुनी संख्या से अधिक न हो । यदि ऐसा/ ऐसे कोई अभ्यर्थी है/हैं जिनके अंक मौखिक साक्षात्कार के लिए चुने गए आखिरी उम्मीदवार के अंकों के बराबर हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थीगण जिनके द्वारा प्राप्त अंक मौखिक साक्षात्कार के लिए चुने गए आखिरी अभ्यर्थी के अंकों के बराबर हैं, भी मौखिक साक्षात्कार के लिए चुने जायेंगे बिना इस तथ्य की परवाह किये कि ऐसे अभ्यथी/अभ्यर्थियों को शामिल करके मौखिक साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित रिक्त पदों की तिगुनी संख्या की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाएगी । 2. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इस नौकरी के लिए निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों की पात्र श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सेवा में नियुक्ति के पात्र होने के लिए मौखिक साक्षात्कार में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने चाहिए।
	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सेवा में नियुक्ति के पात्र होने के लिए मौखिक साक्षात्कार में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने चाहिए।	3. मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाएगा और अभ्यर्थियों का स्थान दोनों के योग पर निर्भर करेगा । **घ. सामान्य** 1. नियमों के परिशिष्ट में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय प्रारंभिक और (लिखित) या मुख्य परीक्षा / समय–समय पर स्वयं द्वारा निर्दिष्ट किए गए

	टीप :– 1. मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंको को मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी की स्थिति दोनों के कुल प्राप्त अंको पर निर्भर होगी । 2.अभ्यर्थियों से समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शुल्क लिया जा सकता है ।	किसी भी अन्य अधिनियम (मों) कानून (नों) को शामिल कर सकता है। 2. अभ्यर्थियों से समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शुल्क लिया जा सकता है । 3. प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा (लिखित) सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अभ्यर्थियों को बिना किसी सूचना दिए खारिज किया जा सकता है । 4. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अंकों को पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्तर पर अंकों को पूर्णांकित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अभ्यर्थियों को बिना किसी सूचना दिए खारिज किया जा सकता है। 5. परीक्षा के किसी भी स्तर पर, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित), या मौखिक साक्षात्कार में परीक्षा के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास हेतु किसी भी प्रकृति के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी। इसके अलावा, ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली परीक्षा से उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ऐसी अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जो सामान्यतः तीन वर्ष से कम नहीं होगी। 6. अंतिम परिणाम की घोषणा के एक वर्ष बाद दिल्ली न्यायिक सेवा हेतु प्रत्येक भर्ती परीक्षा से सम्बंधित ओएमआर उत्तर पत्र को सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा से सम्बंधित समस्त परीक्षा सामग्री, मुख्य परीक्षा (लिखित) के उत्तर पत्र, मौखिक साक्षात्कार, आदि के अंक पत्र नष्ट कर दिए जाएँगे। तथापि, यदि किसी परीक्षा से सम्बंधित कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित हो और मुकद्दमा में सम्मिलित प्रश्न/मुद्दा अभ्यर्थी(गण) के उत्तर पत्र अर्थात कुल संख्या, मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन, आदि से सम्बंधित हो तो उपरोक्त निर्णय की शर्तों में नष्टीकरण के प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्ट्री ऐसे उत्तर पत्रों को सुरक्षित रखेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2022

No. F. 6/15/2021-Judl./Suptlaw/358-362.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.1/2/70/DH(S) dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S) dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970, namely : -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Delhi Judicial Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Rule	Existing Rules	Amendments Recommended
7	For purposes of recruitment to the service there shall be a Selection Committee consisting of the following: - (1) Chief Justice or a Judge of the High Court deputed by him. (2) Two Judges of the High Court nominated by the Chief Justice. (3) Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi. (4) A Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi nominated by the Administrator. The Registrar of the High Court shall be the ex-officio Secretary of the Committee.	For purposes of recruitment to the service there shall be a Selection Committee consisting of the following: - (1) Chief Justice or a Judge of the High Court deputed by him. (2) Two Judges of the High Court nominated by the Chief Justice. (3) Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi. (4) A Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi nominated by the Administrator. **Provided that the quorum for any meeting of the Selection Committee.** The Registrar **General** of the High Court shall be the ex-officio Secretary of the Committee.
13.	Recruitment after the initial recruitment shall be made on the basis of a competitive examination to be held by the High Court in Delhi, preferably twice a year, subject to vacancy position. The Administrator shall be kept informed about the dates and place of such examination.	**Recruitment after the initial recruitment shall be made on the basis of a competitive examination comprising of a Preliminary objective type Examination for selection for the Mains Examination (Written), Mains Examination (Written) and Interview/ Viva Voce. The Examination will be held by the High Court in Delhi, preferably once a year, subject to vacancy position. The Administrator shall be kept informed about the dates and place of such examination.**
14.	14. A candidate shall be eligible to appear at the examination, if he is: - a) a citizen of India; b) a person practicing as an Advocate in India or a person qualified to be admitted as an Advocate under the Advocates Act, 1961; and c) not more than 32 years of age on the 1st day of January following the date of commencement of the examination.	14. A candidate shall be eligible to appear at the examination, if he is: - a) a citizen of India; b) a person **practising** as an Advocate in India or a person qualified to be admitted as an Advocate under the Advocates Act, 1961; and c) not more than 32 years of age on the **1st day of January of the year in which the applications for appointment are invited.**
15.	The syllabus for the examination and the fees payable shall be as detailed in the Appendix to these rules.	**The Syllabus for the Examination and the Scheme governing the conduct of the Examination shall be as detailed in the Appendix to these Rules.**
18.	(i) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit on the basis of competitive examination held in accordance with the Rules. Such list will be forwarded to the Administrator. (ii) The Administrator may in consultation with the High Court, make appointment in substantive, officiating or temporary vacancies from amongst those who stand highest in order of merit.	(i) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit on the basis of competitive examination held in accordance with the Rules. Such list will be forwarded to the Administrator. (ii) The Administrator may in consultation with the High Court, make appointment in substantive, officiating or temporary vacancies from amongst those who stand highest in order of merit.

		(iii) All selected candidates shall join the service within a period of one month from the date of issuance of notification of appointment by the competent authority. (iv) Upon sufficient justification, the competent authority i.e. the High Court may extend the abovementioned period of one month for joining service on a written application made by the candidate concerned. Such extension, if granted, shall be for a period of two months only. Extension of period of joining beyond this period may be granted by the High Court in rare and exceptional circumstances but in no case shall such further extension be granted for a period of more than six months from the date of issuance of notification of appointment. (v) Upon failure of the selected candidate to join service either within one month of the date of notification of appointment or upon expiry of such extended period as may be granted by the High Court, the appointment of the selected candidate shall lapse. (vi) The vacancy so created by virtue of clause (v) above may be offered to the next candidate, as per order of merit in the select list unless for reasons to be recorded in writing, it is not so deemed apposite. (vii) The Select List prepared for all categories of officials shall be valid till the next Select List is published. (viii) The Clauses (iii) to (v) of this Rule shall form part of the notification of appointment of the selected candidates.
Appendix (See Rule 15)	SYLLABUS Syllabus for competitive examination for recruitment to the Delhi Judicial Service. Delhi Judicial Service Examination will be held in two successive stages:- (i) Delhi Judicial Service Preliminary Examination (Objective type with 25% negative marking) for selection for the main examination, and (ii) Delhi Judicial Service Main Examination (Written) for selection of candidates for calling for viva-voce. The Preliminary Examination will be a screening test and will consist of one paper of multiple objective type questions carrying maximum of 200 marks. In the preliminary examination questions on general knowledge and aptitude of the candidate, candidate's power of expression, flair in English, knowledge of objective type legal problems	**Syllabus and Scheme for conduct of the Examination** Delhi Judicial Service Examination will be held in two successive stages:- (i) Delhi Judicial Service Preliminary Examination (Objective type with 25% negative marking) for selection for the Mains Examination (Written), and (ii) Delhi Judicial Service Mains Examination (Written) for selection of candidates for calling for Viva-Voce. **A. PRELIMINARY EXAMINATION** 1. The Preliminary Examination will be a screening test **of qualifying nature** and will consist of one paper of multiple choice questions carrying maximum of 200 marks. In the preliminary examination questions on general **legal** knowledge and aptitude of the candidate, candidate's power of expression,

<table>
<tr>
<td></td>
<td>and their solutions covering Constitution of India, Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Contract Act, Partnership Act, Principles governing Arbitration Law, Evidence Act, Specific Relief Act, and Limitation Act will be included.</td>
<td>flair in English, knowledge of objective type legal problems and their solutions covering The Constitution of India; The Code of Civil Procedure, 1908; The Code of Criminal Procedure, 1973; The Indian Penal Code; The Indian Contract Act, 1872;The Limited Liability Partnership Act, 2008;The Arbitration and Conciliation Act, 1996;The Indian Evidence Act, 1872; The Specific Relief Act, 1963; The Limitation Act, 1963;The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and The Commercial Courts Act, 2015 will be included.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60% for general and 55% for reserved categories i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and [Persons with Disability]. However, the number of candidates to be admitted to the main examination (written) will not be more than ten times the total number of vacancies of each category advertised.</td>
<td>2. Minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60% for general category and 55% for reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service. However, the number of candidates to be admitted to the Mains Examination (Written) will not be more than ten times the total number of vacancies of each category advertised.

Provided that in case a candidate(s) secures marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for Mains Examination (Written), then all such candidate(s) who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for Mains Examination (Written), shall also be shortlisted for the Mains Examination (Written) irrespective of the fact that by including such candidate(s), the number of candidates shortlisted for Mains Examination (Written) exceeds the prescribed limit of ten times the number of vacancies in each category advertised.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main Examination (Written) will not be counted for determining their final order of merit.

The Main Examination (Written) will include the following subjects (each subject to carry the number of marks shown against it):-

<u>SUBJECTS</u> :

<table>
<tr><td>SI.No.</td><td>Subjects</td><td>Max. Marks</td></tr>
<tr><td>1</td><td>General Knowledge & Language</td><td>250</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Civil Law 1</td><td>200</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Civil Law II</td><td>200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Criminal Law</td><td>200</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Viva-Voce</td><td>150</td></tr>
</table>

1) GENERAL KNOWLEDGE AND LANGUAGE

This paper shall comprise of two Sections:-</td>
<td>3. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Mains Examination (Written) will not be counted for determining their final order of merit.

B. Mains Examination (Written)

The Mains Examination (Written) will include the following subjects (each subject to carry the number of marks shown against it):

<table>
<tr><td>SI. No.</td><td>Subjects</td><td>Max. Marks</td></tr>
<tr><td>1</td><td>General Legal Knowledge& Language</td><td>250</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Civil Law I</td><td>200</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Civil Law II</td><td>200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Criminal Law</td><td>200</td></tr>
</table>

1. GENERAL LEGAL KNOWLEDGE AND LANGUAGE

This paper shall comprise of two Sections:-</td>
</tr>
</table>

	Section I : General Knowledge:- This is to test the candidate's knowledge of current affairs etc. (100 Marks) Section II: **Language (Essay, Translation and Precis Writing):-**This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. There will be two passages for translations one in English which will be required to be translated into Hindi (in Devnagri Script) and the second passage in Hindi (in Devnagri Script) shall be required to be translated into English. **(150 Marks)** 2) Civil Law-I Indian Contract Act, Indian Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, Specific Relief Act, Hindu Law, Mohammaden Law, Delhi Rent Control Act and Law of Torts. (200 Marks) 3) Civil Law-II Civil Procedure Code, Law of Evidence, Law of Limitation and Law of Registration. (200 Marks) 4) Criminal Law Criminal Procedure Code, Indian Penal Code and Indian Evidence Act. (200 Marks)	Section I : General **Legal** Knowledge:- This is to test the candidate's knowledge of current **legal** affairs etc. **(100 Marks).** **Section II: Language (Essay, Translation and Precis Writing):-**This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. There will be two passages for translations one in English which will be required to be translated into Hindi (in Devnagri Script) and the second passage in Hindi (in Devnagri Script) shall be required to be translated into English. **(150 Marks)** 2. Civil Law-I The Indian Contract Act, 1872; The Sale of Goods Act, 1930; **The Transfer of Property Act, 1882;** The Specific Relief Act, 1963; Hindu Law; Mohammaden Law; The Delhi Rent Control Act, 1958; Law of Torts; **The New Delhi Municipal Council Act, 1994; The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and The Commercial Courts Act, 2015.** **(200 Marks)** 3) Civil Law-II The Code of Civil Procedure, 1908; The Indian Evidence Act, 1872; The Limitation Act, 1963; The Registration Act, 1908; **The Arbitration and Conciliation Act, 1996; The Trade Marks Act, 1999 and The Copyright Act, 1957.(200 Marks)** 4) Criminal Law The Code of Criminal Procedure, 1973; The Indian Penal Code; The Indian Evidence Act, 1872; **The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005; The Negotiable Instruments Act, 1881; The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. (200 Marks)**
	5) Viva-Voce Viva-Voce will carry 150 marks. Only such candidates will be called for viva voce who have obtained 40% marks in each written paper and 50% marks in the aggregate except in the case of candidates belonging to reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability in whose case the qualifying marks shall be 35% in each written paper and 45% in the aggregate.	**C. VIVA VOCE** **1.** Viva-Voce will carry 150 marks. **Candidates of general category must secure minimum 40% marks in each written paper and 50% marks in the aggregate and candidates of reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service must secure minimum 35% marks in each written paper and 45% marks in the aggregate in Mains Examination (Written) to**

		be eligible for being called for Viva Voce. **Provided that the candidates shortlisted for viva voce shall not exceed three times the number of vacancies in each category advertised. In case, there is a candidate(s) who has/have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for viva voce, then all such candidate(s) who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for viva voce, shall also be shortlisted for the viva voce irrespective of the fact that by including such candidate(s), the number of candidates shortlisted for viva voce exceeds the prescribed limit of three times the number of vacancies in each category advertised.**
	A candidate of general category must secure minimum 50% marks and a candidate of reserved category, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability must secure minimum 45% marks in viva-voce to be eligible for being recommended for appointment to the service.	2. Candidates of general category must secure minimum 50% marks and candidates of reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and **eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service** must secure minimum 45% marks in viva-voce to be eligible for being recommended for appointment to the service.
		3. The marks obtained in the viva voce will be added to the marks obtained in the Mains Examination (Written) and the candidate's position will depend on the aggregate of both.
	Notes:-	**D. GENERAL**
	1. The marks obtained in the viva-voce will be added to the marks obtained in the Main Examination (Written) and the candidate's position will depend on the aggregate of both.	**1. In addition to the syllabus mentioned in the Appendix to the Rules, the High Court may include any other Act(s)/law(s) in the Preliminary and/or Mains Examination (Written), as may be specified by it from time to time.**
	2. Fee may be charged from the candidates as specified by the High Court from time to time.	2. Fee may be charged from the candidates as specified by the High Court from time to time.
		3. There shall be no re-evaluation of answer sheets in respect of Preliminary Examination and Mains Examination (Written). No request for re-evaluation of answer sheets shall be entertained and the same shall be liable to be rejected without any notice to the candidates.
		4. Rounding-off of marks at any stage of the examination shall not be permissible. No request for rounding-off of marks at any stage shall be entertained and the same shall be liable to be rejected without any notice to the candidates.
		5. The candidature of candidates found using unfair means of any nature by exercising or attempting to influence the result of the examination at any stage of the Examination, i.e., Preliminary Examination, Mains Examination (Written) or Viva Voce,

		shall be summarily rejected without any further notice to the candidates. **Moreover, such candidate shall be debarred from the future Examination for such a period as may be decided by the High Court, which shall ordinarily be not less than three years.** **6. All Examination material including OMR answer sheets relating to Preliminary Examination, answer sheets of Mains Examination (Written), award sheets of viva voce, etc. in relation to each recruitment examination for Delhi Judicial Service will be destroyed one year after the declaration of the final result. However, if any litigation pertaining to any examination is pending before any Court, and the question / issue involved in the /is touches upon the answer sheets of the candidate (s) i.e. totaling, evaluation, re-evaluation, etc., the Registry shall preserve such answer sheets before initiating the process of destruction in terms of the above decision.**

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.09 22:59:11 +05'30'